

19  
12/22

पत्रावली प्रेषण हुई। वकील उभय पक्ष को उपस्थित  
न्यायालय सभ में हीन प्रत्यक्ष आवान युक्त रात पर  
कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अन्वेषण किया।  
तलवाना प्रेषण के लिए पूर्ण आवश्यक प्रदान किया जा  
के बाद भी समन तलवाना प्रेषण नहीं किया गया। इस  
संबंध में आवान के नाम पर गवाह/अंतः, न्यायालय क्रमिक सुदृष्ट  
3 नियम 3 व 5 CPC बाद स्वीकृत करने उचित समझा है।  
बाद स्वीकृत किया जाता है। जो मूल मुद्दा के लिए पत्रावली  
वाकिल व प्रेषण है।

उपखण्ड अधिकारी  
झालावाड़